फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री रूपसिंह पिता केशरसिंह** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :– **125/23 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2023/326**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाम की मादड़ी की आराजी नम्बर 2142/718 खातेदार श्री रूपसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राव सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का रेकॉर्ड में रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म बा.तृ. होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि खातेदार को उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक– आवं/336/83 दिनांक 24.02.83 के द्वारा आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन का नामा. स. 186 दिनांक 01.10.1983 स्वीकृत होकर दर्ज रिकॉर्ड हुआ। नामा, फर्द रजिस्टर में उक्त भूमि के आवंटन आदेश के साथ कोई नक्शा चस्पा नहीं है। लट्ठा नक्शा शीट में उक्त भूमि की नक्शा तरमीम पूरानी होने से सटीक मालूमात नहीं हो रही है। पटवार हल्का पर मौजूद मूल शीट में उक्त आराजी नम्बर की तरमीम मौजूद है उक्त शीट में उक्त भूमि का रकबा कम है। मौके पर प्रार्थी के कब्जे में अधिक भूमि है। जिसका सही माप मौके पर उक्त भूमि पर अत्याधिक कटिली झाड़िया होने से करना मुश्किल है। मूल आराजी नम्बर 718 में 7 अलग–अलग आवंटन हुए है एवं शेष बिलानाम भूमि कुल रकबा 5.1476 हैक्टेयर बचा हुआ है। जिस पर कंटीली झाड़ियां है एवं पूख्ता निशानात नहीं होने से भूमि का सीमाकंन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः मौके पर साफ–सफाई पश्चात् जरीब / फीता चलाने योग्य होने पर भू प्रबन्ध विभाग के दक्ष अमीन से करवाया जाना अपेक्षित है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मे यह स्वीकार किया की राजस्व नक्शे में प्रार्थी की भूमि कम दर्ज है। इस कारण से तहसीलदार को पुनः राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम खाम की मादड़ी के आराजी नम्बर 2142/718 रकबा 0.4047 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदार श्री रूप सिंह पिता केशर सिंह जाति राव के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम खाम की मादड़ी के आराजी नम्बर 718 में दिनांक 24.02.1983 को 02 बिघा भूमि आवंटित हुई तथा नामान्तरण संख्या 186 दिनांक 01.10.1983 से प्रार्थी श्री रूप सिंह राव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वक्त सेग्रीगेशन के दौरान DILRMP प्रोजेक्ट में तैयार नक्शा शीट में उक्त खसरा नम्बर 2142/718 रकबा 0.4047 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम एवं मौका स्थिति में भिन्नता होकर रकबा कम होने से प्रार्थी के कब्जे अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज रकबा 0.4047 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक वृत घासा एवं पटवार हल्का रख्यावल की रिपोर्ट मौका पर्चा, एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.12.24 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम खाम की मादड़ी पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 268 पर दर्ज आराजी नम्बर 2142/718 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का हाल राजस्व नक्शे में की गई तरमीम की नपतर करने पर रकबा रकबा 0.4047 हैक्टेयर नही होकर कम दर्ज है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम होनी चाहिए, अर्थात राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में रकबा पृथक–पृथक नही हो सकता है। प्रकरण में तहसीलदार घासा द्वारा स्वीकार किया गया है कि राजस्व नक्शे में वादग्रस्त भूमि की गई तरमीम का रकबा जमाबंदी अनुसार दर्ज नही होकर कम है। जबकि प्रार्थी द्वारा साबिक नक्शे का नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का से लेकर पत्रावली में प्रस्तुत किया। जिसमें रकबा पूर्ण है। साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा का मिलान भी नही हो रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार सेग्रीगेशन के दौरान डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट मे तैयार नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि की तरमीम एवं मौका स्थिति में भिन्नता है। ऐसे में जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि का जितना रकबा है उसी रकबे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है, जिससे की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में रकबे में भिन्नता नही रहे। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाकर जमाबंदी एवं नक्शे का रकबा बराबर कराना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खाम की मादड़ी पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 268 पर दर्ज आराजी नम्बर 2142/718 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे/ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested